Website : www.prsuinv.ac.in E-mail ID- registrar@prsuinv.ac.in

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0

पत्रांकः पी0आर0एस0यू0/R.0. 357/2021 दिनांकः 28 सितम्बर, 2021

सेवा में,

समयबद्ध/अतिमहत्वपूर्ण

प्रबन्धक/प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उ0प्र0।

विषयः शैक्षणिक सत्र 2021–22 में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र संख्या– 2270/सत्तर–1–2020–16(20)/2011 दिनांकः 03 दिसम्बर, 2020 का अवलोकन करें, जो महाविद्यालयों में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से 80 किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सम्बन्ध में कतिपय महाविद्यालयों द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम वर्ष में सीट वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिन महाविद्यालयों को सत्र 2021–22 के लिए सीट वृद्धि करानी है, वो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निरीक्षण शुल्क– ₹15,000/– के साथ विश्वविद्यालय में दिनांकः 03.10.2021 (3-10.2021) तक आवेदन करें। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(एस0 के0 शुक्ल) 28/9/21
कुल सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
3. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपतिजी के सूचनार्थ।
4. प्रभारी एजेन्सी को, इस आशय से कि उक्त पत्र को समस्त महाविद्यालयों के लॉगिन एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
कुल सचिव। 28/9/21

पताः सी0पी0आई0 परिसर, महात्मागाँधीरोड,सिविललाइन्स, प्रयागराज, (उ0प्र0), फोनः 0532–2256206

Scanned by CamScanner

संख्या– 2270 /सत्तर–1–2020–16(20)/2011

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 03 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2020

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2020–21 एवं 2021–22 में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय की परिनियमावली में यह व्यवस्था की गयी है कि महाविद्यालयों में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–सी0एम0 270/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 एवं शासनादेश संख्या–07/2016/749 /सत्तर–1–2016–16(20)/2011 दिनांक 21 जुलाई, 2016 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020–21 एवं 2021–22 में नियमानुसार कार्यवाही की जाने की अनुमति दी जाती है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय में उनकी आवश्यकता, उनमें उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों आदि की उपलब्धता का निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण करते हुये परिनियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही इस प्रकार की जाय कि शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

भवदीय,

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 2270 (1)/सत्तर–1–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अपर मुख्य सचिव, माननीय कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(4) निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

s.g/g.o-3/c-3

Scanned by CamScanner